(3) उन सभी टंककों के लिये जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। इस प्रयोजनार्थ स्वयं मंत्रालय में ही एक हिंदी टाइपिंग यूनिट बनाई गई है।

(4) मन्त्रालय में हिंदी आशुलिपिकों का एक पूल बनाय गय है जिनकी सेवायें अधिकारी हिंदी टाइप टिप्पण और प्रारूपण लिखवाने में ले सकते हैं।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिंदी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर 229 फाइलों में हिंदी में काम किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय के अधीन 9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम काम कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली में अनेक अनुभाग 20 से 40 तक आना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं परियोजना व उपस्कर निगम तथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के एक-एक अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। मंत्रालय के अन्य प्रमुख संगठनों के जिन अनुभागों में 50% से अधिक कार्य हिंदी में हो रहा है वे हैं प्रशासन कार्मिक, लेखा, जनसंपर्क तथा सम्पदा।

(घ) अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या 4 है जिनके लिये हिन्दी साफ्टवेयर भी प्राप्त किया गया है। टेलेक्स मशीनों (अंग्रेजी) की संख्या 4 है। इस मंत्रालय में कोई टेलीप्रिंटर नहीं है।

दस्तावेज का हिन्दी में अनुवाद

76. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द विकल :

क्या जल ससाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय में राजभाषा की घोर उपेक्षा की जा रही है और "क" "ख" तथा "ग" क्षेत्रों की तो बात ही क्या "क" क्षेत्र में स्थित मुख्यालयों तक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन नहीं किया जा रहा है तथा विशेष कर प्रतिवेदनों, अध्ययन प्रतिवेदनों और इसी प्रकार के अनेक दस्तावेजों का हिन्दी में न तो अनुवाद किया गया है और न ही किया जा रहा है ; और

(ख) अंग्रेजी में तैयार किये गये दस्तावेजों, प्रतिवेदनों, अध्ययन प्रतिवेदनों आदि की संख्या कितनी हैं और ये किस प्रकार के हैं तथा इनमें से कितनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) समय समय पर कई प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं जिनमें रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों हेतु आन्तरिक प्रयोग के लिए तकनीकी स्वरूप के प्रतिवेदन भी सम्मिलित हैं। इनमें समय समय पर गठित अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों के प्रतिवेदन, आयोगों के प्रतिवेदन, विभिन्न तकनीकी समितियों के प्रतिवेदन शामिल हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिवेदनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन

77. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक 13 उपक्रमों/ कम्पनियों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति क्या हैं ;

(ख) "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित कंपनियों में कितने प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया जा रहा है ;

(ग) धारा 3 (3) के पालन के संबंध में स्थिति क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां राजभाषा अधिनियम की धारा 10 (4) और 8 (4) कार्यान्वित कर दी गई है ; और

(घ) उन स्थानों के, विशेषकर "क" क्षेत्र में स्थित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां शत प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया

जा रहा है और यदि कहीं शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं किया जा रहा है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वस्त्र मंत्रालय क अधीन 9 (न कि 13 जैसा कि प्रश्न में बताया गया है) सरकारी उपक्रम/कम्पनियां हैं । इन सभी उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को तथा वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये वास्तविक प्रयास किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक कम्पनी में प्राप्त परिणामों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी सलाहकार समिति जैसे मंचों के माध्यम से नियमित रूप से मानीटर किया जाता है तथा समीक्षा की जाती है।

(ख) जहां तक प्रतिशतता का संबंध है, "क" क्षेत्र में स्थित कम्पनियों के 14 अनुभाग अपना 100% कार्य हिन्दी में कर रहे हैं और "क" तथा "ख" क्षेत्र में 8 ऐसे अनुभाग हैं जहां पर 50% से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । "ग" क्षेत्र में अधिकांश कम्पनियों में हिन्दी कार्य की प्रतिशतता अपेक्षाकृत कम है ।

(ग) विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का यथासंभव कार्यान्वयन किया जा रहा है । जहां तक धारा 10 (4) का संबंध है अभी तक वस्त्र मंत्रालय के 50 कार्यालय इस धारा के अंतर्गत अधिसूचित किए जा चुके हैं । जहां तक धारा 8 (4) का संबंध है इस प्रयोजनार्थ 14 अनुभाग निर्धारित किये गये हैं और वे अपना शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रहें हैं ।

(घ) "क" क्षेत्र में स्थित निम्नोक्त संगठनों के कतिपय अनुभाग अपना शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रहे हैं :

(1) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।

(2) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, कानपुर ।

(3) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, इन्दौर ।

(4) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली ।

(5) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर ।

कुछ कार्यालयों में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में न किये जाने संबंधी कारण हैं ; अपेक्षित स्तर तक हिन्दी भाषा का ज्ञान न होना, हिन्दी कार्य के लिये स्टाफ की कमी, आशुलिपिक सहायता आदि पर्याप्त न होना ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

78. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" क्षेत्र में कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं अपना शत-प्रतिशत काम हिन्दी में नहीं कर रही हैं, क्या हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी 1300 शाखा अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रही हैं., और यदि हां, तो इन शाखाओं में ऋण पत्र तैयार करने, तार कोडों और कम्प्यूटर संबंधी सभी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्र में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के मुख्यालय से लेकर शाखाओं तक में राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम का इतना घोर उल्लंघन किया जा रहा है कि लिखा पढ़ी के बावजूद मुंगेर जिले में बरियारपुर शाखा में, जो "क" क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो इन बैंकों का प्रभारी है, इस कार्य की सही प्रकार से निगरानी नहीं कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडवर्डो फैलेरियो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को "क" क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 13740 शाखाओं में से 3367 शाखाएं अपना अधिकांश काम हिन्दी में कर रही थीं । इस क्षेत्र में स्थित